बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संचिका सं0 05 (स्था0(मुकदमा) 04/2014

आदेश

श्री गिरीश कुमार, मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा को जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 827 दिनांक 02.05.2013 तथा जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 1222 दिनांक 03.05.2013 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश संख्या 2051 दिनांक 30.05.2013 द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। इसी बीच पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्बेषण ब्यूरो के पत्रांक 1118 दिनांक 31.05.2013 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या 025/2013 दिनांक 24.05.2013 दायर किये जाने की सूचना प्राप्त हुई।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं जिला परिवहन पदाधिकरी, दरभंगा तथा निगरानी अन्वेषण व्यूरो से प्राप्त आरोपों के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय आदेश संख्या 2339 दिनांक 14.6.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अपर परिवहन आयुक्त -सह-संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री कुमार से आरोपों के संबंध में द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया परन्तु श्री कुमार द्वारा दिनांक 14.3.2014 को समर्पित उत्तर में विभाग द्वारा गठित प्रपत्र 'क' में वर्णित आरोपों के संदर्भ में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित नहीं कर नये सिरे से नए संचालन पदाधिकारी को नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। इस संदर्भ में श्री कुमार से प्राप्त आवेदन से असहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1)(i) (ii) (iii) एवं नियम 19(6) के उल्लंघन तथा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के वृहत्त शस्तियाँ (x) के आलोक में श्री कुमार को परिवहन विभाग के आदेश संख्या 1987 दिनांक 31.3.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया।

श्री कुमार द्वारा उपरोक्त बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No. 8483/2014 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2016 को निम्न आदेश पारित किया गया है:-"In the result, this writ application succeeds. The impugned order of punishment, passed by the Principal Secretary, Transport Department, being without jurisdiction, is accordingly set aside. The case is remitted to the Disciplinary Authority to consider the matter afresh on its own merit. As this court has not examined the issue, whether the inquiry proceeding has been conducted in accordance with law, the petitioner would be entitled to take all these pleas before the Disciplinary Authority by way of filing supplementary show cause, which would duly be considered, in accordance with law. As the order of punishment has been set aside, the petitioner would be reinstated in service."

उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में श्री गिरीश कुमार, मोटरयान निरीक्षक से संबंधित बर्खास्तगी आदेश संख्या 1987 दिनांक 31.3.2014 को रद्द किया जाता है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (5) के आलोक में श्री कुमार को उपरोक्त बर्खास्तगी आदेश की तिथि से निलंबित किया जाता है ।

3. श्री गिरीश कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने की कार्रवाई अलग से किया जायेगा ।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अनुसार श्री कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित मुख्यालय से किया जायेगा ।

5. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय जिला परिवहन कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार, पटना।

ज्ञाप सं0 4507 परि0, पटना, दिनांक- 22/7/16

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी संयुक्त आयुक्त -सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/ सभी मोटरयान निरीक्षक परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेक्षित।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार, पटना।

ज्ञाप सं0 4507 परि0, पटना, दिनांक- 22/7/16

प्रतिलिपि:-श्री गिरीश कुमार, मोटरयान निरीक्षक (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) परिवहन विभाग, बिहार, पटना-फ्लैट नं0 202, बसुदेव विहार अपार्टमेन्ट, नागेश्वर कालोनी, बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार, पटना।

ज्ञाप सं0 4507 परि0, पटना, दिनांक- 22/7/16

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार, पटना।

ज्ञाप सं0 4507 दिनांक- 22/7/16

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/7

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार, पटना।